

मीरा कुमार
मीरा कुमारी

सामाजिक अधिकार और
अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री प्रतिष्ठान, नई दिल्ी - 1001
सामाजिक मंत्री
न्याय और अधिकारिता
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -
110001

10 फरवरी। 2006



प्रस्तावना

मैं इसे जारी करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ (वह विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य रूप से अनिवार्य करता है। हाल के वर्षों में, वहाँ रहे हैं विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन। विकलांग व्यक्तियों के बहुमत बेहतर जीवन की गुणवत्ता का नेतृत्व कर सकते हैं यदि उनके पास समान अवसर और पुनर्वास उपायों तक प्रभावी पहुँच है।

2. (विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत सरकार की नीतियों को अधिनियमों, योजनाओं और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जनशक्ति के विकास के लिए स्थापित संस्थानों के माध्यम से परिलक्षित किया गया है। हालांकि, राष्ट्रीय पर एक व्यापक दस्तावेज की आवश्यकता है। निःशक्तजनों के लिए नीति काफी समय से गिर रही थी।

3. मैं भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अपने सहयोगियों और अधिकारियों (वह भारत सरकार, विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगे गैर-सरकारी संगठनों को अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रदान करके बड़े पैमाने पर योगदान दिया है लाने में उनके बहुमूल्य सुझाव (राष्ट्रीय नीति दस्तावेज)

4. मुझे आशा है कि सभी संबंधित सरकार। गैर-सरकारी संगठन और विशेषज्ञ विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीति के कार्यान्वयन में आवश्यक कदम उठाएंगे।

सं.3-1/1993-डीडी.III

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

परिचय

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य रूप से अनिवार्य करता है। हाल के वर्षों में, विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश विकलांग व्यक्ति बेहतर जीवन स्तर जी सकते हैं यदि उनके पास समान अवसर और पुनर्वास उपायों तक प्रभावी पहुंच हो।

2. 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.19 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं जो कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत हैं। इसमें दृष्टि, श्रवण, वाक्, चलन और मानसिक विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। 75 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, 49 प्रतिशत विकलांग लोग साक्षर हैं और केवल 34 प्रतिशत कार्यरत हैं। चिकित्सा पुनर्वास पर पहले के जोर को अब सामाजिक पुनर्वास पर जोर देने से बदल दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं की पहचान में वृद्धि हुई है और उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें समाज में मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया गया है। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन कानून बनाए हैं।

- “ विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जो शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है।
- “ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 में चार श्रेणियों के कानूनी संरक्षकता और यथासंभव स्वतंत्र जीवन के लिए सक्षम वातावरण के निर्माण के प्रावधान हैं।
- iii. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति के विकास से संबंधित है।

3. कानूनी ढांचे के अलावा, व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। निम्नलिखित सात राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में जनशक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं, अर्थात्:

- शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुंबई
- राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक।
- राष्ट्रीय बहु-विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता संस्थान, चेन्नई।

4. पांच समय पुनर्वास केंद्र, चार क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र और 120 जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) हैं जो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं।

विकलांगता वाले। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कई राष्ट्रीय संस्थान भी पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर; अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई; अखिल भारतीय भाषण और श्रवण संस्थान, मैसूर; केंद्रीय मनोरोग संस्थान, रांची, आदि। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकार के संस्थान भी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, 250 निजी संस्थान पुनर्वास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।

5. राष्ट्रीय विकलांग और वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार उद्यम करने के लिए रियायती शर्तों पर ऋण प्रदान कर रहा है।

6. ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सौंपा गया है।

7. भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारत एक समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार आधारित समाज की दिशा में कार्रवाई के लिए बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। भारत वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान के संरक्षण और संवर्धन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर वार्ता में भाग ले रहा है।

राष्ट्रीय नीति वक्तव्य

8. राष्ट्रीय नीति यह मानती है कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन हैं और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान करे। नीति का फोकस निम्नलिखित पर होगा:

I. विकलांगों की रोकथाम

9. चूंकि बड़ी संख्या में विकलांगता के मामलों को रोका जा सकता है, इसलिए विकलांगता की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम, जिसके परिणामस्वरूप विकलांगता होती है और गर्भावस्था की अवधि के दौरान और उसके बाद विकलांगों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा होती है और उनके कवरेज का विस्तार किया जाएगा।

द्वितीय. पुनर्वास उपाय

10. पुनर्वास उपायों को तीन अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- i. शारीरिक पुनर्वास, जिसमें प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा हस्तक्षेप और सहायता और उपकरणों का प्रावधान शामिल है। इसमें पुनर्वास पेशेवरों का विकास भी शामिल होगा।
- ii. व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास और
- iii. समाज में सम्मानजनक जीवन के लिए आर्थिक पुनर्वास।

II A. शारीरिक पुनर्वास रणनीतियाँ

(ए) प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप

11. अक्षमता का शीघ्र पता लगाने और दवा या गैर-दवा उपचारों के माध्यम से हस्तक्षेप करने से विकलांगता के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए, जल्द पता लगाने और जल्द हस्तक्षेप पर जोर दिया जाएगा, और इस दिशा में आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में सूचना प्रसारित करने के उपाय करेगी।

(बी) परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास

12. शारीरिक पुनर्वास उपायों में परामर्श, विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों की क्षमताओं को मजबूत करना, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, शल्य चिकित्सा सुधार और हस्तक्षेप, दृष्टि मूल्यांकन, दृष्टि उत्तेजना, भाषण चिकित्सा, ऑडियोलॉजिकल पुनर्वास और विशेष शिक्षा सभी को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। सक्रिय भागीदारी और भागीदारी से देश के जिलों में

माता-पिता और विकलांग व्यक्तियों के संघों सहित राज्य सरकारों, स्थानीय स्तर के संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों के।

13. वर्तमान में, पुनर्वास सेवाएं बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में और उसके आसपास उपलब्ध हैं। चूंकि पचहत्तर प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए पेशेवरों द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं को बिना सेवा वाले और गैर-सेवा वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। निजी स्वामित्व वाले पुनर्वास सेवा केंद्रों को न्यूनतम मानकों के रखरखाव के लिए विनियमित किया जाएगा जो निर्धारित किए जाएंगे।

14. ग्रामीण और असेवित क्षेत्रों में कवरेज का विस्तार करने के लिए, राज्य सरकार के समर्थन से नए जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किए जाएंगे।

15. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करता है। आशा अन्य बातों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर विकलांग व्यक्तियों की व्यापक सेवाओं का ध्यान रखेगी।

(सी) सहायक उपकरण

16. भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों को आईएसआई मानक के टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक उपकरणों और उपकरणों की खरीद में सहायता कर रही है जो विकलांगों के प्रभाव को कम करके उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकते हैं।

17. हर साल राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों, डीडीआरसी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और ऑर्थोस, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, सर्जिकल जूते और दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए उपकरण, सीखने के उपकरण (ब्रेल लेखन उपकरण) जैसे उपकरण प्रदान किए जाते हैं। डिक्टाफोन, सीडी प्लेयर/टेप रिकॉर्डर), कम दृष्टि सहायता, विशेष गतिशीलता सहायक उपकरण जैसे नेत्रहीनों के लिए बैंत, श्रवण यंत्र, शैक्षिक किट, संचार सहायता, सहायक और सतर्क करने वाले उपकरण और मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त उपकरण। उपकरणों की उपलब्धता का विस्तार खुला और कम सेवा वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया जाएगा।

18. विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च तकनीक सहायक उपकरणों के निर्माण में शामिल निजी, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(डी) पुनर्वास पेशेवरों का विकास

19. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा और विकास योजना तैयार की जाएगी ताकि पुनर्वास रणनीतियां जनशक्ति की कमी से ग्रस्त न हों।

II बी विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा

20. शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 21ए की भावना और विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 26 की भावना को ध्यान में रखते हुए, सभी विकलांग बच्चों को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी है। वर्षों। 2001 की जनगणना के अनुसार, इक्यावन प्रतिशत विकलांग व्यक्ति निरक्षर हैं। यह बहुत बड़ा प्रतिशत है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है।

21. सरकार द्वारा शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का लक्ष्य 2010 तक 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए आठ साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का लक्ष्य है। 15 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चे- विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) योजना के तहत 18 साल की मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

22. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशक्त छात्रों को शैक्षिक विकल्प, शिक्षण सहायक सामग्री और उपकरण, गतिशीलता सहायता, सहायता सेवाएं आदि की निरंतरता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें खुले में शिक्षा शामिल है

शिक्षा प्रणाली और खुले स्कूल, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, विशेष स्कूल, जहां आवश्यक हो, घर आधारित शिक्षा, यात्रा शिक्षक मॉडल, उपचारात्मक शिक्षण, अंशकालिक कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) और व्यावसायिक शिक्षा।

23. राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित आईईडीसी योजना विभिन्न सुविधाओं जैसे विशेष शिक्षक, किताबें और स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन, नेत्रहीन विकलांगों के लिए पाठक भत्ता, छात्रावास भत्ता, उपकरण लागत, हटाने/ वास्तु बाधाओं का संशोधन, शिक्षण सामग्री की खरीद/उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता, संसाधन कक्षों के लिए सामान्य शिक्षकों और उपकरणों का प्रशिक्षण।

24. सरकार की ओर से नियमित सर्वेक्षण के माध्यम से विकलांग बच्चों की पहचान में सुधार, उपयुक्त स्कूलों में उनके नामांकन और उनकी शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने तक जारी रखने के लिए ठोस प्रयास किया जाएगा। सरकार विकलांग बच्चों, उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षकों और स्कूलों, जो सुलभ और विकलांगों के अनुकूल हो, को सही प्रकार की शिक्षण सामग्री और किताबें उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

25. भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल के बाद के स्तर पर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। सरकार छात्रवृत्ति का समर्थन करना और इसके कवरेज का विस्तार करना जारी रखेगी।

26. मौजूदा संस्थानों के अनुकूलन द्वारा विभिन्न प्रकार की उत्पादक गतिविधियों के अनुकूल कौशल विकास को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा या गैर-सेवारत / कम सेवा वाले क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

27. विकलांग व्यक्तियों को उच्च और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

II ग. विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास

28. विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास में संगठित क्षेत्र में मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार दोनों शामिल हैं। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से सेवाओं की सहायक संरचना विकसित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को उत्पादक और लाभकारी रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण की रणनीतियों निम्नलिखित होंगी।

(i) सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार

पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 भारत सरकार के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में चिन्हित पदों पर रोजगार में 3% आरक्षण प्रदान करता है। समूह ए, बी, सी और डी में चिन्हित पदों पर सरकार के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण की स्थिति क्रमशः 3.07%, 4.41%, 3.76% और 3.18% है। पीएसयू में, ग्रुप ए, बी, सी और डी में आरक्षण की स्थिति क्रमशः 2.78%, 8.54%, 5.04% और 6.75% है। सरकार लोक निर्माण अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र में चिन्हित पदों पर आरक्षण सुनिश्चित करेगी। सूची (ii) निजी क्षेत्र में वेतन रोजगार

विकलांग व्यक्तियों में उपयुक्त कौशल के विकास को निजी क्षेत्र में उनकी रोजगार योग्यता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों की क्षमता और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कौशल विकसित करने में लगे व्यावसायिक पुनर्वास और प्रशिक्षण केंद्रों को उनकी सेवाओं के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विकलांग व्यक्तियों को बाजार की आवश्यकता के लिए उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार, कर छूट आदि जैसे सक्रिय उपाय किए जाएंगे।

(iii) स्वरोजगार

संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की धीमी गति को देखते हुए विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रबंधन प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, एनएचएफडीसी से नरम शर्तों पर ऋण प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा ताकि इसे प्रसंस्करण की पारदर्शी और कुशल प्रक्रियाओं के साथ आसानी से सुलभ बनाया जा सके। सरकार विकलांग व्यक्तियों के उद्यमों से सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए प्रोत्साहन, कर रियायतें, कर्तव्यों से छूट, अधिमान्य उपचार प्रदान करके स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित करेगी। वित्तीय सहायता में प्राथमिकता स्वयं सहायता को दी जाएगी विकलांग व्यक्तियों द्वारा गठित समूह।

विहित पदों की संख्या, जिसे 2001 में अधिसूचित किया गया था, की समीक्षा और अद्यतन किया जाएगा।

III. विकलांग महिलाएं

29. जनगणना-2001 के अनुसार, 93.01 लाख महिलाएं विकलांग हैं, जो कुल विकलांग आबादी का 42.46 प्रतिशत है। विकलांग महिलाओं को शोषण और दुर्यवहार से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

विकलांग महिलाओं की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार और अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। विशेष शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। परित्यक्त विकलांग महिलाओं/लड़कियों को परिवारों में गौद लेने के लिए प्रोत्साहित करके पुनर्वास, उन्हें आवास में सहायता और लाभकारी रोजगार कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सरकार उन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगी जहां कुल लाभार्थियों के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक विकलांग महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

30. विकलांग महिलाओं के लिए अल्पावधि आवास, कामकाजी विकलांग महिलाओं के लिए छात्रावास और वृद्ध विकलांग महिलाओं के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

31. यह देखा गया है कि विकलांग महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने में गंभीर कठिनाई होती है। सरकार विकलांग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम चलाएगी ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए सेवाओं को किराए पर ले सकें। ऐसी सहायता दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दो बच्चों तक सीमित होगी।

चतुर्थ। विकलांग बच्चे

32. विकलांग बच्चे सबसे कमजोर समूह हैं और उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार प्रयास करेगी:-

- ए। विकलांग बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना;
- बी। गरिमा और समानता के साथ विकास के अधिकार को सुनिश्चित करना एक ऐसा सक्षम वातावरण बनाना जहां बच्चे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, समान अवसरों का आनंद उठा सकें और विभिन्न विधियों के अनुसार पूर्ण भागीदारी कर सकें।
- सी। विशेषज्ञता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समावेश और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं।
- डी। विकास के अधिकार के साथ-साथ विशेष जरूरतों और देखभाल, और सुरक्षा की मान्यता सुनिश्चित करें गंभीर रूप से विकलांग बच्चों की।

वी. बाधा मुक्त वातावरण

33. बाधा मुक्त वातावरण विकलांग लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने और निर्मित वातावरण के भीतर सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। बाधा मुक्त डिजाइन का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो व्यक्तियों के स्वतंत्र कामकाज का समर्थन करता है ताकि वे बिना किसी सहायता के भाग ले सकें।

दिन की गतिविधियाँ। अतः अधिकतम संभव सीमा तक सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों/स्थानों/परिवहन प्रणालियों को बाधा मुक्त बनाया जाएगा।

VI. विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना

34. भारत सरकार ने विकलांगों के मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति सरल, पारदर्शी और ग्राहक-अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाकर कम से कम समय में बिना किसी कठिनाई के विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

सातवीं। सामाजिक सुरक्षा

35. विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों को दैनिक जीवन, चिकित्सा देखभाल, परिवहन, सहायक उपकरणों आदि की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इसलिए, उन्हें विभिन्न माध्यमों से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार विकलांग व्यक्तियों और उनके अभिभावकों को कर राहत प्रदान करती रही है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बेरोजगारी भत्ता या विकलांगता पेंशन प्रदान करते रहे हैं। राज्य सरकारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

36. ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता उनकी मृत्यु के बाद अपने बच्चों के कल्याण के बारे में असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थानीय स्तर की समिति के माध्यम से कानूनी अभिभावक प्रदान करता रहा है। वे उपर्युक्त गंभीर विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्थित संरक्षकता योजना को भी लागू कर रहे हैं जो संरक्षकता की लागत का समर्थन करके निराश्रित और परित्यक्त हैं। यह योजना, जो वर्तमान में कुछ जिलों में लागू है, को चरणबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

आठवीं। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को बढ़ावा देना

37. राष्ट्रीय नीति सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए सस्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठन क्षेत्र को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में मान्यता देती है। एनजीओ क्षेत्र एक जीवंत और विकासशील क्षेत्र है। इसने विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं के प्रावधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ गैर सरकारी संगठन मानव संसाधन विकास और अनुसंधान गतिविधियां भी चला रहे हैं। सरकार भी उन्हें नीति निर्माण, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल कर रही है और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनकी सलाह ले रही है। योजना, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विकलांगता मुद्दों पर गैर सरकारी संगठनों के साथ बातचीत को बढ़ाया जाएगा।

नेटवर्किंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान और गैर सरकारी संगठनों के बीच अच्छी प्रथाओं को साझा करने को प्रोत्साहित और सुगम बनाया जाएगा। निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाएंगे:-

मैं। निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की एक निर्देशिका उनकी प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा उनका समुचित मानचित्रण करके तैयार की जाएगी। केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा समर्थित गैर सरकारी संगठनों के लिए, उनकी संसाधन स्थिति, वित्तीय और जनशक्ति दोनों की भी सूचना दी जाएगी। विकलांग व्यक्तियों के संगठनों, पारिवारिक संघों और विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता के वकालत समूहों को भी अलग से उनकी पहचान करने वाली निर्देशिका में शामिल किया जाएगा।

ii. एनजीओ आंदोलन के विकास में क्षेत्रीय/राज्य असंतुलन हैं। वंचित और दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने और वरीयता देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी ऐसे क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. एनजीओ को न्यूनतम मानकों, आचार संहिता और नैतिकता को विकसित करने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

iv. गैर सरकारी संगठनों को उनके मानव संसाधन के उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे। का प्रशिक्षण ले रहा है प्रबंधन कौशल जो पहले से ही प्रदान किया जा रहा है, को मजबूत किया जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रक्रियात्मक सरलीकरण आदि एनजीओ सरकार की भागीदारी में सुधार के लिए मार्गदर्शक कारक होंगे।

वी गैर सरकारी संगठनों को सरकार से सहायता अनुदान पर निर्भरता को कम करने और इस क्षेत्र में धन की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से सहायता को कम करने पर भी विचार किया जाएगा ताकि उपलब्ध संसाधनों के भीतर मदद की जाने वाली एनजीओ की संख्या को अधिकतम किया जा सके। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों को संसाधन जुटाने में प्रशिक्षित किया जाएगा।

IX. विकलांग व्यक्तियों पर नियमित सूचना का संग्रह

38. विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से संबंधित आंकड़ों के नियमित संग्रह, संकलन और विश्लेषण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 1981 से दस वर्षों में एक बार नियमित रूप से विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर जानकारी एकत्र कर रहा है। जनगणना ने 2001 की जनगणना से विकलांग व्यक्तियों पर जानकारी एकत्र करना भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन पांच साल में कम से कम एक बार विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करनी होगी। दोनों एजेंसियों द्वारा अपनाई गई परिभाषाओं में अंतर का समाधान किया जाएगा।

39. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेब साइट बनाई जाएगी। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों को स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी वेब साइटों को दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

एक्स अनुसंधान

40. विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ, अक्षमताओं के कारण, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पद्धति, उपयोगकर्ता के अनुकूल सहायता और उपकरणों के विकास और विकलांगों से जुड़े सभी मामलों पर अनुसंधान का समर्थन किया जाएगा। उनके जीवन की गुणवत्ता और नागरिक समाज की उनकी चिंताओं का जवाब देने की क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन करते हैं। जहां कहीं भी विकलांग व्यक्तियों पर अनुसंधान हस्तक्षेप किया जाता है, वहां उनके या उनके परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले की सहमति अनिवार्य है।

XI. खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

41. इसकी चिकित्सीय और सामुदायिक भावना के लिए खेलों का योगदान निर्विवाद है। विकलांग व्यक्तियों को खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। सरकार उन्हें विभिन्न खेलों, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

बारहवीं। विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मौजूदा अधिनियमों में संशोधन

42. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और विकलांगता क्षेत्र में विकास के साथ, अधिनियम में कुछ संशोधन आवश्यक हो गए हैं। ये संशोधन हितधारकों के परामर्श से किए जाएंगे। आरसीआई और राष्ट्रीय न्यास अधिनियमों की भी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र

I. रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप

43. निःशक्तताओं की रोकथाम और शीघ्र पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

* टीकाकरण के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों (बच्चों के साथ-साथ गर्भवती माताओं के लिए), सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का विस्तार किया जाएगा।

- बच्चों में विकलांगता का जल्द पता लगाने के लिए चिकित्सा और पैरा-मेडिकल कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाएगा।
 - iii. चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विकलांगता रोकथाम, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप में प्रशिक्षण मॉड्यूल और सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
 - iv. चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर, स्नातक डिग्री और डिप्लोमा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता निवारण, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप पर मॉड्यूल शामिल होंगे।
 - v. विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों के लिए विकलांगता विशिष्ट नियमावली भी विकसित की जाएगी और मुफ्त प्रदान की जाएगी।
 - vi. मानव संसाधन विकास संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष शिक्षा, नैदानिक मनोविज्ञान, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, ऑडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी, व्यावसायिक परामर्श और प्रशिक्षण और सामाजिक कार्य जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों।
 - vii. आनुवंशिकी के क्षेत्र में नवीनतम शोध निष्कर्षों को कम से कम करने के लिए उचित रूप से उपयोग किया जाएगा मानसिक बीमारी सहित जन्मजात विकलांगता।
 - viii. विकलांगता के प्रभावों को सीमित करने और मौजूदा स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के भीतर माध्यमिक अक्षमताओं की रोकथाम के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार की जाएगी।
 - ix. प्रजनन अवधि में किशोरियों, गर्भवती माताओं और महिलाओं के बीच पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम स्कूल स्तर पर और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के स्तर पर बनाए जाएंगे।
- एक्स। जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए बच्चों की जांच के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

द्वितीय. पुनर्वास के कार्यक्रम

44. चिकित्सा और पुनर्वास पेशेवरों की सहायता से और विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों, कानूनी अभिभावकों और समुदायों की भागीदारी के साथ चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। सरकारी कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित किया जाएगा और निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए जाएंगे:

- मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और दीर्घकालिक विशेष पुनर्वास सहित समग्र पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- द्वितीय समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवार के सदस्यों/देखभाल करने वालों को पुनर्वास की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से शामिल किया जाएगा।
- iii. जिला स्तरीय पंचायती राज संस्था के तहत गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से गंभीर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल गृहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, परिवार सहायता समूहों को समुदाय और/या परिवार के समर्थन के बिना मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए हिरासत देखभाल संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iv. मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक और सामाजिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवासीय पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के उपाय भी किए जाएंगे।

III. मानव संसाधन विकास

45. निम्नलिखित क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास किया जाएगा -

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्सों (दाइयों) आदि सहित स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक विकास दोनों में प्राथमिक स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
- सरकार के कर्मियों और सेवाएं प्रदान करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण और अभिविन्यास के लिए सहायता।
- iii. सामुदायिक निर्णय निर्माताओं जैसे पंचायतों के सदस्यों, परिवारों के मुखिया आदि का प्रशिक्षण और संवेदीकरण।

iv. देखभाल करने वालों के रूप में परिवार के सदस्यों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास।

46. समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, घर-आधारित शिक्षा, पूर्व-विद्यालय शिक्षा आदि के तहत विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया जाएगा, विभिन्न विशेषज्ञता और स्तरों के निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे:

- a. समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल।
- g. विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री और उच्च स्तरीय कार्यक्रम
- iii. विकलांग वयस्कों/वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए घर-आधारित शिक्षा और देखभाल सेवाओं के लिए देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण।

47. पुनर्वास कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए योजना तैयार करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद नोडल एजेंसी होगी। निःशक्तता विशिष्ट प्रशिक्षण में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई जाएगी और एक पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जाएगी।

चतुर्थ। विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा

48. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2020 तक प्रत्येक विकलांग बच्चे को उचित प्री-स्कूल, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो।

मैं। स्कूलों (भवन, पहुंच, शौचालय, खेल के मैदान, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि) को सभी प्रकार की विकलांगता के लिए बाधा मुक्त और सुलभ बनाना।

द्वितीय अधिकांश निःशक्तता की आवश्यकताओं के लिए शिक्षण के माध्यम और पद्धति को उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाएगा शर्तें।

- iii. शिक्षण/शिक्षण की तकनीकी/पूरक/विशेषीकृत प्रणाली स्कूल के भीतर या एक सामान्य केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी जो स्कूलों के एक समूह के लिए आसानी से सुलभ हो।
- iv. शिक्षण / सीखने के उपकरण और सहायक उपकरण जैसे शैक्षिक खिलौने, ब्रेल / बोलने वाली किताबें, उपयुक्त सॉफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। सामान्य पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ब्रेल-लाइब्रेरी और टॉकिंग बुक्स लाइब्रेरी, रिसोर्स रूम आदि की स्थापना के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- vi. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जाएगा और देश के अन्य हिस्सों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।
- vi. अंतर व्यक्तिगत संचार में एक व्यवहार्य माध्यम के रूप में सांकेतिक भाषा, वैकल्पिक और संवर्धित संचार (एएसी) और अन्य माध्यमों को मान्यता, मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- vii. स्कूल आसान यात्रा दूरी के भीतर स्थित होंगे। वैकल्पिक रूप से, समुदाय, राज्य और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से व्यवहार्य यात्रा व्यवस्था की जाएगी।
- viii. स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक परामर्श और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- ix. शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर विकलांग बालिकाओं के प्रवेश और प्रतिधारण की सालाना समीक्षा करने के लिए अलग तंत्र होगा।

एक्स। कई विकलांग बच्चे, जो समावेशी शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें विशेष स्कूलों से शैक्षिक सेवाएं मिलती रहेंगी। विशेष विद्यालयों को तकनीकी विकास के आधार पर उपयुक्त रूप से पुनः मॉडल और पुनः उन्मुख किया जाएगा। ये स्कूल विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए तैयार करने में भी मदद करेंगे।

xi. कुछ मामलों में विकलांगता की प्रकृति (इसके प्रकार और डिग्री), व्यक्तिगत परिस्थितियों और वरीयताओं के कारण, घर-आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी।

xii. विभिन्न विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली को उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। परीक्षा प्रणाली को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया जाएगा जैसे कि गणित सीखना, केवल एक भाषा सीखना, आदि। इसके अलावा, अतिरिक्त समय, कैलकुलेटर का उपयोग, क्लार्क की टेबल, स्क्राइब आदि का उपयोग आवश्यकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

- xiii.

विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में समावेशी शिक्षा के मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- xiv.

ज्ञान समाज के युग में, कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चा कंप्यूटर के उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से सामने आए।
- एक्सवी

6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी और आवश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा ताकि वे समावेशी शिक्षा में शामिल होने में सक्षम हो सकें।
- xvi.

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मनोसामाजिक पुनर्वास केंद्रों में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- xvii.

कई स्कूल की कमी के कारण उनकी विकलांगता के कारण छात्रों के नामांकन को हतोत्साहित करते हैं
विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता। सभी स्कूलों में शिक्षकों, प्राचार्यों और अन्य स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- xviii.

वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित विशेष स्कूल समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र बन जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यकता के आधार पर नए विशेष स्कूल खोलेगा।
- xix.

गंभीर सीखने की कठिनाइयों वाले वयस्कों के लिए वयस्क शिक्षण/अवकाश केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- xx.

विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में तीन प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। विकलांग छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए विकलांग केंद्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पेशेवर संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्हें विकलांग छात्रों के लिए परिसर में कक्षाओं, छात्रावासों, कैफेटेरिया और अन्य सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- xxi.

विकलांग बच्चों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर शिक्षकों के प्रेरण और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक मॉड्यूल शामिल करें

49. मानव संसाधन विकास मंत्रालय होगा नोडल

मंत्रालय व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करेगा

विकलांगता वाले।

वी. रोजगार

50. विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- मैं।

सरकार निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ बातचीत शुरू करेगी ताकि लोगों की मदद की जा सके
रोजगार पाने में अक्षमता।
- ii.

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से गंभीर और बहु-विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त घर-आधारित आय सृजन कार्यक्रम विकसित करना, जो ऐसे कार्यक्रमों का विकल्प चुनते हैं। विकलांग व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए भी रोजगार के लिए कोचिंग की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iii.

प्रशिक्षण केन्द्रों/कारखानों/उद्योग/कार्यालयों आदि में निःशक्तजनों को बिना किसी बाधा के संचालित करने के लिए आवश्यक मशीनरी, वर्कस्टेशन और कार्य वातावरण के डिजाइन में संशोधन को सुगम बनाना।
- iv.

विकलांग व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के विपणन में विपणन बोर्ड, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए), निजी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों जैसी उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से सहायता प्रदान करें।
- वी

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के कवरेज में सुधार किया जाएगा ताकि उन्हें वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए अनुसार 3 प्रतिशत का उनका देय हिस्सा मिल सके।

VI. बाधा मुक्त वातावरण

51. बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जाएगी:

- (i) सार्वजनिक भवन (कार्यात्मक या मनोरंजक), सड़कें, उप-मार्ग और फुटपाथ, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस-स्टॉप / टर्मिनल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, परिवहन के साधन (बस, ट्रेन, विमान और जलमार्ग), खेल के मैदान सहित परिवहन सुविधाएं, खुली जगह आदि को सुलभ बनाया जाएगा।
- (ii) सभी सार्वजनिक समारोहों में सांकेतिक भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (iii) बाधा मुक्त भवनों के निर्माण से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए वास्तुकारों और सिविल इंजीनियरों के कार्यक्रम में संशोधन किया जाएगा। इन मुद्दों पर सरकारी वास्तुकारों और इंजीनियरों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (v) बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए व्यापक भवन उपनियमों और अंतरिक्ष मानकों को पूर्ण रूप से अपनाना सुनिश्चित किया जाएगा। देश के सभी राज्यों, नगर निकायों और पंचायती राज संस्थानों द्वारा उपनियमों और अंतरिक्ष मानकों को अपनाना सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ये प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सभी नवनिर्मित भवन बाधा मुक्त हों।
- (vi) राज्य परिवहन उपक्रम अपने वाहनों में विकलांगों के अनुकूल सुविधाओं को सुनिश्चित करेंगे। रेलवे चरणबद्ध तरीके से बाधा मुक्त कोच मुहैया कराएगा। वे प्लेटफॉर्म-भवन, शौचालय और अन्य सुविधाओं को भी बाधा मुक्त बनाएंगे।
- (vii) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, सार्वजनिक उपयोगिताएँ अपने कर्मचारियों के लिए विकलांगों के अनुकूल कार्यस्थल उपलब्ध कराएँ। सुरक्षा मानकों को विकसित और सख्ती से लागू किया जाएगा।
- (viii) देश में विकलांगता के अनुकूल आईटी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएंगे।
- (ix) सभी भवनों, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं, का अंकेक्षण निःशक्त व्यक्तियों की पहुंच के लिए किया जाएगा। व्यावसायिक रूप से मान्यता प्राप्त एक्सेस ऑडिटर विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है जिनकी सेवाओं का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
- (x) विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (xi) विकलांग व्यक्तियों की संचार आवश्यकताओं को सूचना सेवा और सार्वजनिक दस्तावेजों को सुलभ बनाकर पूरा किया जाएगा। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सूचना प्रदान करने के लिए ब्रेल, टेप-सेवा, बड़े प्रिंट और अन्य उपयुक्त तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

सातवीं। सामाजिक सुरक्षा

52. पर्याप्त सामाजिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा:-

मैं। विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली कर राहत की नीतियों की नियमित समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक आयकर और अन्य कर राहत उपलब्ध रहे।

⁹⁴ विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन और बेरोजगारी भत्ते की राशि को युक्तिसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- iii. भारतीय जीवन बीमा निगम विशिष्ट प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करता रहा है। बिना किसी अपवाद के विकलांग व्यक्तियों को कवर करने के लिए सभी बीमा एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

आठवीं। अनुसंधान

53. विकलांग व्यक्तियों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रोत्साहित किया जाएगा, जहां कहीं आवश्यक होगा। शोध के परिणामों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। यह निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित होगा: -

- iv. विकलांगता के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलु, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार पैटर्न का अध्ययन शामिल है।
- v. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित सामाजिक संकेतक विकसित करना ताकि शामिल समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके और पहुंच और अवसरों में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किया जा सके।
- iii. विकलांगता के प्रकार के आधार पर व्यक्तियों के रोजगार की स्थिति के बारे में आंकड़े तैयार करें, खासकर उन लोगों के लिए जो दुर्घटनाओं और अन्य आपदाओं के कारण विकलांग हो जाते हैं।
- iv. विभिन्न प्रकार के कारणों और अक्षमताओं के स्तर का अध्ययन
- vi. भारतीय चिकित्सा परिषद के तत्वावधान में विकलांगता की घटनाओं को कम करने के लिए आनुवंशिक अनुसंधान
- vi. प्रमुख तकनीकी संस्थानों की मदद से लागत प्रभावी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और टिकाऊ सहायता और उपकरणों को विकसित करने की दृष्टि से उन्नत व्यक्तिगत गतिशीलता, मौखिक / गैर-मौखिक संचार, दैनिक उपयोग के लेखों में डिजाइन परिवर्तन आदि पर ध्यान केंद्रित अनुकूली प्रौद्योगिकी अनुसंधान।

54. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अनुसंधान और विकास, परीक्षण और प्रमाणन प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण आदि के समन्वय और उपक्रम के लिए पुनर्वास प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। उपयुक्त

सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे।

IX. खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

55. खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे: -

- मैं। मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलकूद, होटल, समुद्र तट, खेल के मैदानों के लिए जगह बनाएं।
सभागार, जिम हॉल, आदि सुलभ।
- v. ट्रेवल एजेंसियों, होटलों, स्वेच्छिक संगठनों और मनोरंजन गतिविधियों या यात्रा के अवसरों के आयोजन में शामिल अन्य लोगों को विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी को अपनी सेवाएं देनी चाहिए।
- iii. स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की सहायता से विभिन्न खेलों में विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा की पहचान की जाएगी।
- iv. विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल संगठनों और सांस्कृतिक समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी का समर्थन करने के लिए तंत्र होगा।
- v. विकलांग व्यक्तियों के लिए खेलों में उत्कृष्टता के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया जाएगा।
- vi. 56. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा।
- vii. 57. राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निकाय का गठन किया जाएगा। प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, विकलांग जन संगठनों, पैरवी समूहों और माता-पिता/अभिभावकों के पारिवारिक संघों, विशेषज्ञों और पेशेवरों सहित सभी हितधारकों को भी शामिल किया जाएगा।

इस शरीर पर प्रतिनिधित्व किया। इसी तरह की व्यवस्था को राज्य और जिला स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों में समन्वय स्थापित करने के लिए जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों की जिला स्तरीय समितियों के कामकाज में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ा जाएगा।

- viii.

58. गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, युवा मामले और खेल, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, श्रम, पंचायती राज और प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक और उच्चतर मंत्रालय शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, सार्वजनिक उद्यम, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक और प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और लक्ष्य निर्धारित करने वाली वार्षिक योजनाएँ और वित्तीय आवंटन तैयार किए जाएंगे। इन मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के दौरान हासिल की गई प्रगति को दर्शाएंगी।
- ix.

59. केन्द्रीय स्तर पर मुख्य निःशक्तजन आयुक्त और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त अपनी सांविधिक जिम्मेदारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- एचएम

60. पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्तर के मुद्दों को हल करने और उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिन्हें जिला और राज्य योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। ये संस्थान अपनी परियोजनाओं में विकलांगता से संबंधित घटकों को शामिल करेंगे।
- xi.

61. कार्यान्वयन के दौरान बनाए गए बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और लंबी अवधि के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता होगी। समुदाय को बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और चल रही लागत को पूरा करने के लिए अपने आप में या निजी क्षेत्र के संगठनों से जुटाकर संसाधन पैदा करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यह कदम न केवल राज्य के संसाधनों पर बोझ कम करेगा बल्कि समुदाय और निजी उद्यमियों के बीच जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करेगा।
- xii.

62. हर पांच साल में राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में विचार-विमर्श के आधार पर कार्यान्वयन की स्थिति और पांच साल के लिए एक रोडमैप का एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से राज्य की नीति तैयार करने और कार्य योजना विकसित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया जाएगा।



सुश्री सेल्वी एन. विदार्थे द्वारा पेंटिंग। रचनात्मक व्यक्तियों की श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार - 2005 के विजेता